कार्यालय सामान्य वनमंडल-सीहोर

☎(957562) 222767 फैक्स - 957562(223815) E-Mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 39 सीहोर, दिनाँक :02./.01../2019

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.सड़क विकास निगम लि.
भोपाल।

विषयः- म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा म.प्र. के मुख्य जिला मार्ग सिद्धिकगंज-हाटपिपलिया के उन्नयन कार्य के अंतर्गत उपलब्ध सड़क सीमा मे कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत्।
(वनक्षेत्र के कुल लं.-6200मीटर)

संदर्भः-आपका पत्र क्रं./17324/एमपीआरडीसी/एडीबी/VI-VII/डीएम/2018 दि. 24.12.2018, वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा का पत्र क्र/3656 दि. 29.12.2018, उपवनमण्डलाधिकारी सीहोर का पृ. क्र/08 दि. 02.01.2019

--00--

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि प्रकरण में सीहोर वनमण्डल के परिक्षेत्र आष्टा मे म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा म.प्र. के मुख्य जिला मार्ग सिद्धिकगंज-हाटपिपलिया के उन्नयन सह-डामरीकरण कार्य के अंतर्गत उपलब्ध सड़क सीमा मे कार्य करने के लिए अनुमति चाही गई है। तदानुसार प्रस्तावि मार्ग का सयुक्त स्थल निरीक्षण परिक्षेत्राधिकारी आष्टा एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के कर्मचारी द्वारा किया गया।

प्रकरण में वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा के पत्र क्र./3656 दिनांक 29.12.2018, तथा उपवनमण्डलाधिकारी सीहोर के पृ.क्र/08 दिनांक 02.01.2019 से संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें मोका पंचनामा, चेनेज अनुसार मार्ग की उपलब्ध चौडाई बिना वृक्ष प्रभावित, जी.पी.एस. रीडिंग आवेदक विभाग का वचन पत्र, वन संरक्षण अधिनियम के तहत धारा-2 के प्रस्ताव, जिसके अनुसार प्रस्तावित मार्ग **परिक्षेत्र आष्टा के कक्ष क्र.-RF-118 RF-119,** मे 2350मी., **RF-120, RF-121, P-154** मे 2550मी, **RF-148 में 1300मी. कुल 6.200कि.मी. लम्बाई एवं चौडाई-6.00मी मे गुजर रहा है,** जिसकी संयुक्त जॉच, चैनेज अनुसार **बिना वृक्ष प्रभावित संलग्न आर.ओ.डब्ल्यू की विद्यमान चौडाई अनुसार** विवरण निम्नानुसार है।

कक्ष क्र.	चैनेज मी. में	सयुक्त जॉच, क्रास सेक्शन अनुसार उपलब्ध आर.ओ.डब्ल्यू मीटर में	जी.पी.एस. रीडिंग	
			अक्षांश	देशान्तर
RF118, RF119, RF120, RF121 P154	0	3.20मी. मे डामरीकृत शेष ROW मे चैनेज अनुसार शोल्डर सहित कुल चौडाई-6.00मी औसतन	22^{0}51'31.39"	76^{0}37'27.72"
	50	--"--		
	100	--"--		
	150	--"--		
	200	--"--		
	250	--"--		
	300	--"--		
	350	--"--		
	400	--"--		
	450	--"--		
	500	--"--	22^{0}51'34.60"	76^{0}36'10.68"
	550	--"--		
	600	--"--		
	650	--"--		

D:/DM Sec/pmgsy Road/pmgsy

01

Scanned by CamScanner

	700	--“--		
	750	--“--		
	800	--“--		
	850	--“--		
	900	--“--		
	950	--“--		
	1000	--“--	22°51’34.06”	76°35’52.99”
	1050	--“--		
	1100	--“--		
	1150	--“--		
	1200	--“--		
	1250	--“--		
	1300	--“--		
	1350	--“--		
	1400	--“--		
	1450	--“--		
	1500	--“--	22°51’29.62”	76°35’36.08”
	1550	--“--		
	1600	--“--		
	1650	--“--		
	1700	--“--		
	1750	--“--		
	1800	--“--		
	1850	--“--		
	1900	--“--		
	1950	--“--		
	2000	--“--	22°51’24.96”	76°35’19.21”
	2050	--“--		
	2100	--“--		
	2150	--“--		
	2200	--“--		
	2250	--“--		
	2300	--“--		
	2350	--“--		
	2400	--“--		
	2450	--“--		
	2500	--“--	22°51’18.14”	76°35’03.31”
	2550	--“--		
	2600	--“--		
	2650	--“--		
	2700	--“--		
	2750	--“--		
	2800	--“--		
	2850	--“--		
	2900	--“--		
	2950	--“--		
	3000	--“--	22°51’16.55”	76°34’45.96”
	3050	--“--		
	3100	--“--		
	3150	--“--		
	3200	--“--		
	3250	--“--		
	3300	--“--		
	3350	--“--		
	3400	--“--		
	3450	--“--		
	3500	--“--	22°51’18.17”	76°34’28.87”
	3550	--“--		

Ore

Scanned by CamScanner

	3600	--“--		
	3650	--“--		
	3700	--“--		
	3750	--“--		
	3800	--“--		
	3850	--“--		
	3900	--“--		
	3950	--“--		
	4000	--“--	22°51’25.71”	76°34’13.31”
	4050	--“--		
	4100	--“--		
	4150	--“--		
	4200	--“--		
	4250	--“--		
	4300	--“--		
	4350	--“--		
	4400	--“--		
	4450	--“--		
	4500	--“--	22°51’20.37”	76°31’52.60”
	4550	--“--		
	4600	--“--		
	4650	--“--		
	4700	--“--		
	4750	--“--		
	4800	--“--		
	4850	--“--		
	4900	--“--	22°51’14.51”	76°31’40.65”
RF-148	4950	--“--	22°51’43”	76°39’33”
	5000	--“--		
	5050	--“--		
	5100	--“--		
	5150	--“--		
	5200	--“--		
	5250	--“--		
	5300	--“--		
	5350	--“--		
	5400	--“--		
	5450	--“--		
	5500	--“--	22°51’39”	76°39’05”
	5550	--“--		
	5600	--“--		
	5650	--“--		
	5700	--“--		
	5750	--“--		
	5800	--“--		
	5850	--“--		
	5900	--“--		
	5950	--“--		
	6000	--“--		
	6050	--“--	22°51’35”	76°38’38”
	6100	--“--		
	6150	--“--		
	6200	--“--	22°51’31”	76°38’24”

भारत शासन के ज्ञाप क्र./11-48/2002-एफ.सी. दि. 30.04.2005 एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र./एफ./5/6/2005/10-3 दि. 17.05.2005 तथा क्र./एफ. -5/11/06/10-3 दि. 21.11.2006 तथा म.प्र. शासन वन विभाग के पृ. क्र./एफ.-5/6/05/10-3 दि. 21.11.2006 तथा पत्र क्र./एफ.-5/6/05/10-3 दि. 10.06.2008, अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध) के पत्र क्र.

Scanned by CamScanner

/एफ.-5/01/92/10-11/विविध/746 दि. 24.03.14 में निहित निर्देशो के तहत वर्तमान में उपरोक्तानुसार उपलब्ध चौडाई (आर.ओ.डब्ल्यू.), **वन क्षेत्र में लम्बाई 6.200 कि.मी.** में है। उक्त प्रस्तावित मार्ग 24.10.1980 के पूर्व का प्रचलित मार्ग है तथा उक्त मार्ग पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। सिद्धिकगंज से हाटपिपलिया मार्ग उन्नयन सहडामरीकरण मे आर.ओ.डब्ल्यू पेव्ड सोलडर सहित 6.00मी. चौड़ाई मे ही मार्ग के उन्न्यन हेतु बिना चौडीकरण, बिना वृक्ष प्रभावित किये निम्नलिखित शर्तो की अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तिन नहीं होगा।
2. कोलतार को पिघलाने एवं मिलाने के लिए अग्नि को वृक्षों से एक सुरक्षित दूरी पर लगाई जावेगी, दूरी का निर्धारण वनमंडलाधिकारी सीहोर द्वारा किया जावेगा। उचित होगा कि इस प्रकार के कार्य के लिए लिए सूखी व गर्म ऋतुओं मे कार्य न किया जावे।
3. वन क्षेत्र के अन्दर पत्थर तोडने की कोई अनुमति नही होगी। पूर्व से ही निर्मित सामग्री का सडक के उन्नयन हेतु उपयोग किया जावेगा। यह सामग्री वन क्षेत्र के बाहर से लाई जावे ।
4. उन्नयित सडक के दोनों किनारे ईट/पत्थर से सुदृढ़ किये जावेगें।
5. किसी भी वृक्ष को ना तो काटा जावेगा ओर न ही इसे किसी प्रकार का नुकसान पहुचाया जावेगा।
6. सडक का चौड़ीकरण नही किया जावेगा।
7. वन क्षेत्र को कही भी नही तोडा जावेगा।
8. वन भूमि पर श्रमिक केम्प नही लगाये जावेगें।
9. सूर्यास्त के पश्चात कोई भी कार्य नही किया जावेगा।
10. वनभूमि के आसपास कोई भी प्लांट/मशीनरी नहीं लगाई जावेगी।
11. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वनभूमि को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी सीहोर द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
12. आवेदक संस्थान द्वारा इस उन्नयत की गई सडक पर अथवा उन्नयन के अधीन सडक पर स्थाई चैकपोस्ट उन्ननयत स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाए जाएगे।
13. आवेदक/आवेदक संस्थान इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करे कि यदि भविष्य मे भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र.क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षंक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वह सभी शर्ते उन्हें मान्य होगी। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा।
14. मार्ग उन्नयन कार्य के प्रारंभ एवं समाप्ति की अवधि सूचित की जावे।
15. यदि आवेदक विभाग को मार्ग की निर्धारित अधिकतम चौडाई से अधिक चौडाई मे र्मा उन्नयन का कार्य कराया जाना हो तो वनसंरक्षण अधिनियम-1980 के तहत ऑनलाईन वेबसाईट पर प्रस्ताव आनलाईन प्रस्तुत करें
16. वनमण्डलाधिकारी समय-समय पर स्थानीय पौधें एवं जन्तुओं के संरक्षण व विकास के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कोई शर्त लगाने के लिये सक्षम रहेगें।
17. सडक के उन्नयन कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो कार्यन्वित करने वाली एजेन्सी/परियोजना लागत पर ऐसे नुकसान की भरपाई करेगी। नुकसान का निर्धारण इस कार्यालय के द्वारा किया जावेगा।
18. इस उन्नयित की गई सडक पर अथवा उन्नयन के अधीन सडक पर स्थाई चेकपोस्ट उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जावेगे।

कृपया सडक मार्ग हेतु वन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा को सूचित करे।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल सीहोर

o/c

D:/DM Sec/pmgsy Road/pmgsy

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 40 सीहोर, दिनाँक :02.01/2019

प्रतिलिपिः-

1. म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) ,सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपवनमण्डलाधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। पत्र में दिये गये शर्तो के अधीन ही वन क्षेत्र में मार्ग उन्नयन कार्य किया जाना सुनिश्चित करे।
6. वन परिक्षेत्राधिकारी आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। पत्र में दिये गये शर्तो के अधीन ही वन क्षेत्र में मार्ग उन्नयन कार्य किया जाना सुनिश्चित करे तथा यह ध्यान रखे की मार्ग का चौडीकरण ना हो ओर न ही वृक्षो को क्षति पहुँचाई जावे।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल सीहोर

010

D:/DM Sec/pmgsy Road/pmgsy

Scanned by CamScanner